न्यायालय अपर सत्र जिला एंव न्यायाधीश/एफ0टी0सी0, 14वां वित्त आयोग, सुलतानपुर
उपस्थित–अभिषेक सिन्हा, एच0जे0एस0
(J.O. Code- UP 1640)

जमानत प्रार्थना पत्र संख्य–4049/2022
(C.N.R. No. UPST010075932022)

नौशाद पुत्र सोहराव, निवासी ग्राम मिसिरपुर जलालपुर, थाना अखण्डनगर, जिला सुलतानपुर।

.....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उ0प्र0 राज्य .....विपक्षी/अभियोगी

सत्र परीक्षण सं0–73/2013
मुकदमा अपराध संख्या–390/12
धारा–302, 201 भारतीय दण्ड संहिता
थाना–अखण्डनगर, जनपद सुलतानपुर।

28.10.2022

प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र जेरे हिरासत मुल्जिम नौशाद की ओर से प्रस्तुत किया गया है। समर्थन में पैरोकार सोहराव का शपथ पत्र दाखिल किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के माध्यम से कथन किया है कि प्रार्थी बिल्कुल निर्दोष है जो दिनांक 13.10.2022 से जेल में बंद है, क्योंकि पूर्व की कई पेशी पर वकील साहेब नियत तिथि की सूचना नहीं पाये जिस कारण वह अदालत में हाजिर नहीं हो सका। वकील साहेब मर गये और उसके पूर्व कोविड महामारी का प्रकोप चल रहा था। प्रार्थी बम्बई में नौकरी करने चला गया था। प्रार्थी को घर वालों ने सूचना दी तब वह सुलतानपुर वापस आया और अदालत में गया तब उसे जेल भेज दिया गया। अभियुक्त के जमानत पर रिहा होने से उसके कहीं भागने अथवा गवाहान साक्ष्य को प्रभावित करने की कोई आशंका नहीं है। वह अपनी जमानत व मुचलका दाखिल करने को तैयार है। अतः प्रार्थी द्वारा जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजादारी ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कथन किया है कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अपनी जमानत का दुरूपयोग किया गया है और उनके गैर हाजिर होने के कारण प्रकरण में विचारण विलम्बित है। अतः प्रार्थी का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाये।

सुना तथा अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकनानुसार प्रकरण में अभियुक्त जमानत पर था। उसके विरूद्ध न्यायालय द्वारा दिनांक 06.02.2021 को गैर जमानतीय वारण्ट जारी किया गया था।

कोविड के चलते उसके अधिवक्ता की मृत्यु हो गयी। वह अपने अधिवक्ता को बताकर नौकरी करने शहर बम्बई चला गया था, घर वालों की सूचना पर वापस घर आने पर पता चला कि न्यायालय द्वारा उसके विरूद्ध गैर जमानतीय वारण्ट जारी कर दिया गया है और वह न्यायालय में दिनांक 13.10..2022 को उपस्थित आया, अपनी गैर हाजिरी को व्याख्यापित किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 13.10.2022 से जिला कारागार में निरूद्ध है।

मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में जमानत का आधार पर्याप्त विदित है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त नौशाद द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा **1,00,000/–रू0 (एक लाख) रूपये** का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा इतनी ही धनराशि की दो सक्षम प्रतिभू तथा इस आशय की अण्डर टेकिंग प्रस्तुत करें कि वह अग्रिम नियत तिथियों पर न्यायालय की कार्यवाही में बिना कोई मौका लिये बराबर भाग लेगा और न्यायालय की कार्यवाही में पूर्ण सहयोग करेगा, दाखिल करने पर उसे जमानत पर रिहा किया जाता है।

sd/-

(अभिषेक सिन्हा)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0,
14वां वित्त आयोग, सुलतानपुर।

28–10–2022 ई0